



12/03/2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच में पेश हुई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान पर विरमा के वारिसान का नाम हज है। विरमा की मृत्यु हो चुकी है। विरासत नामान्तरण खुल चुका है। पत्रावली 136 LR एक्ट के अनुसार शारदा के ह्यान पर विरमा कसना उचित नहीं है।

हमने पत्रावली में खलना रिपोर्ट व अन्य हल्लावेजार का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रालना-पत्र 136 LR Act में आवेदक की मृत्यु हो चुकी है तथा वारिसान के नामान्तरण भी खुल चुके हैं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली कुशल सुमाट होकर नम्बर से कम की जाकर काखिल हफ्तर है।

  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
भरतपुर

  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
भरतपुर